"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2026 — चैत्र 25, शक 1948

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक FINACC-36017/145/2026-FINANCE/4.— राज्य शासन, एतद्द्वारा संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन दिनांक 01–04–2026 से SNA-SPARSH से संबंधी कार्यों हेतु नवा रायपुर अटल नगर में ''केन्द्रीय कोषालय'' प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है। केन्द्रीय कोषालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजशेखर शर्मा, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th April 2026

NOTIFICATION

No. FINACC-36017/145/2026-FINANCE/4.— The State Government hereby accords approval to establish a "Central Treasury" at Nava Raipur Atal Nagar under the Directorate of Treasury & Accounts, effective from 01-04-2026, for matters related to SNA-SPARSH. The jurisdiction of the Central Treasury shall extend to the entire State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJ SHEKHAR SHARMA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.